न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	125 / 2025	04.08.2025	हरि बनाम नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी व अन्य	22.04.2026	1 लगायत 4

1 हरि पुत्र राजल्या जाति रैगर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. नायब तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी। — रेस्पोडेन्ट

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से— विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्ट की ओर से— पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील गंगापुर सिटी के नामान्तकरण सं0 1255 दिनांक 28.10.2022 निर्णय दिनांक 12.11.2022 वाके ग्राम सलेमपुर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 1255 दिनांक 28.10.2022 निर्णय दिनांक 12.11.2022 द्वारा ग्राम सलेमपुर में स्थित भूमि खाता सं0 350 खं0नं0 411 रकबा 0.25 है0, खं0नं0 412 रकबा 0.23 है0, खं0नं0 414 रकबा 0.27 है0, खं0नं0 415 रकबा 0.63 है0, खं0नं0 416 रकबा 0.23 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.61 है0 में से मुताबिक दान पत्र के हिस्सानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना सभव नहीं है पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण खारिज को नोट लगा हुआ है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा उभय पक्षों की सहमति पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में [illegible] कि भूमि खसरा नम्बर 411 रकबा 0.25 है0, 412 रकबा 0.23 है0, 414 रकबा 0.27 है0, 415 [illegible] 0.[illegible] है0, 416 रकबा 0.23 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी

कुल रकबा 1.61 है। वाके ग्राम सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी मे से खातेदार जसराम पुत्र अणदा ने अपने हिस्से 2/9 मे से हिस्सा 1/4, लच्छी पुत्र अणदा ने अपने हिस्से 2/9 में से हिस्सा 1/4, आशाराम पुत्र बाबूलाल ने अपने हिस्से 4/81 मे से हिस्सा 1/4, नरी पुत्री बाबूलाल ने अपने हिस्से 4/81 मे से हिस्सा 1/4, ममता पुत्री बाबूलाल ने अपने हिस्से 4/81 मे से हिस्सा 1/4, ओमी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र गणेश ने अपने हिस्से 4/27 मे से हिस्सा 1/4,, धापा पत्नि गणेश ने अपने हिस्से 4/27 में से हिस्सा 1/4, महेश पुत्र कजोडया ने अपने हिस्से 1/162 सम्पूर्ण का, बुध्दराम पुत्र कजोडया ने अपने हिस्से 1/162 सम्पूर्ण का, सुरेश पुत्र कजोडया ने अपने हिस्से 1/162 सम्पूर्ण का, गुड्डी पुत्री कजोडया ने अपने हिस्से 1/162 सम्पूर्ण का, गीता पुत्री कजोडया ने अपने हिस्से 1/162 सम्पूर्ण का, धापादेवी पत्नि स्वा० कजोडया ने अपने हिस्से 1/162 सम्पूर्ण का, पप्पू पुत्र राजल्या ने अपने हिस्से 1/27 सम्पूर्ण का दानपत्र दिनांक 17/10/2022 को अपीलान्ट के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवा दिया। परन्तू रेस्पोडेन्ट संख्या । व उसके प्रतिनिधी पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण पर दिनांक 28/10/2022 को यह नोट अंकित करते हुये कि मुताबिक दानपत्र के हिस्सेनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना संभ्भव नही है तथा नामान्तकरण खारिज किया जाना सही है नामान्तकरण भरा गया तथा हल्का गिरदावर द्वारा दौराने जाँच दिनांक 02/11/2022 को यह अंकित किया कि दान पत्र के बेचान हिस्सा व शेष हिस्सा सही दर्ज करवा कर नामान्तकरण जांच हेतू पुनः पेश करे उसके उपरान्त दिनांक 04/11/2022 को नामान्तकरण पर यह नोट अंकित किया गया कि पुनः जाँच की गई मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के नामान्तकरण खारिज किया जाना उचित है तथा दिनांक 12/11/2022 को नायब तहसीदार द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या । द्वारा गलत रूप से पटवारी द्वारा भरे गये नामान्तकरण से प्रेरित होकर सम्पूर्ण विधी विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही के तहत उक्त नामान्तकरण निरस्त किया जिसके पिडित होने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई । जिसके प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है:-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की अवहेलना कर निर्णय पारित किया जो निरस्त होने योग्य है।

2 यह कि उक्त विवादित नामान्तकरण रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 17/10/2022 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया परन्तू पटवारी हल्का ने नामान्तकरण भरने की उपरान्त उसी दिन नामान्तरण पर गलत रूप से यह ऑकत किया कि मुताबिक दानपत्र हिस्सेनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना संभव नही है जबकि दान पत्र में स्पष्ट रूप से दानकर्ताओ के हिस्से व उस हिस्से मे से दान की गई भूमि का हिस्सा स्पष्ट रूप से वर्णित है। जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि पटवारी हल्का द्वारा केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नही होने के कारण नामान्तकरण भरने के बाद गलत तथ्य पुनः अंकित किये तथा नामान्तकरण को भरते समय ही रेस्पोडेन्ट संख्या की यह निर्देशित [illegible] कि नामान्तकरण खारिज किया जाना सही है। जिसकी जाँच हल्का गिरदावर द्वारा की गई [illegible] ह[illegible] गिरदावर ने सही हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

दर्ज करवाकर नामान्तकरण पुनः जाँच हेतू पेश करने का नोट अंकित किया परन्तु दिनांक 02/11/2022 के उपरान्त उक्त नामान्तकरण के बारे में किसी प्रकार के जाँच या हिस्से को सही करने का नोट अंकित नहीं किया गया बल्कि हल्का गिरदावर ने अपनी पुनः जाँच के दौरान रिपोर्ट पटवारी के अनुसार नामान्तकरण को खारिज किया जाना उचित होने का नोट दर्ज कर दिया। उक्त पटवारी हल्का व गिरदावर के आदेशो की पालना करते हुये अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी द्वारा नामान्तकरण को गलत रूप से खारिज करने मे भारी कानूनी भूल व अवैधानिक कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है।

3 यह कि दानकर्ताओं द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार ही भूमि का दान पत्र उप पंजीयक तहसील गंगापुर सिटी के यहा पंजीबद्ध करवाया, जिसमे जो हिस्से दर्ज किये गये है वह बिल्कुल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही दर्ज है। नामान्तकरण के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का व गिरदारवर द्वारा जानबूझकर अपनी निजी व्यैमनस्यता के आधार पर नामान्तकरण को गलत रूप से भरा गया व गलत रूप से ही जाँच की गई क्योकि जाँच में पटवारी हल्का द्वारा दिये गये आदेश को ही सही माना गया तथा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा भी रजिस्टर्ड दस्तावेज दानपत्र की अनदेखी करते हुये अपने अधिनस्थ कर्मचारीओ के आदेशो की पालना कर नामान्तकरण को गलत व विधि विरूद्ध रूप से निरस्त किया है इसलिये आदेश अधिनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है।

4 यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण के आदेश दिनांक 12/11/2022 की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी क्योकि अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु पटवारी हल्का को रजिस्टर्ड दान पत्र की प्रति व जमाबन्दी की प्रति उसी समय उपलब्ध करवा दी थी तथा पटवारी हल्का ने उस समय कहा था कि अब तुम्हे आने की आवश्यकता नही है नामान्तकरण अपने आप खुल जायेगा। इसलिये अपीलान्ट ने इस बावत् कोई जानकारी नही की परन्तु कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा फार्मर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके लिये अपीलान्ट दिनांक 02/07/2025 को पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारी दान पत्र वाली भूमि का नामान्तकरण निरस्त हो गया है कल उसकी नकल ले जाना जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 03/07/2025 को पटवारी हल्का से उक्त विवादित नामान्तकरण की नकल प्राप्त की जिसके अवलोकन से अपीलान्ट को सर्वप्रथम यह जानकारी में आया कि रजिस्टर्ड दानपत्र का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा जानबूझकर गलत भरकर निरस्त करवा दिया गया,साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा ग्राम सलेमपुर की भूमि के नामान्तकरण संख्या ... दिनांक 28/10/2022 के बावत् निर्णय दिनांक 12/11/2022 को दिया गया है को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 125/25 उनवान हरि बनाम नायब तहसीलदार व अन्य

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी व अनियमता नहीं है तथा उक्त नामान्तकरण नियमानुसार तस्दीक किया गया है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त नामान्तकरण यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण में पटवारी हल्का ने दिनांक 28.10.2022 में अंकित किया है कि मुताबिक दान पत्र के दर्ज नामान्तकरण वास्ते जॉच व स्वीकृति हेतु पेश है। तथा दिनांक 02.11.2022 में अंकित किया है कि श्रीमान् जी दान पत्र के हिस्सानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं है। अतः नामान्तकरण खारिज किया जाना सही है। भू–अभिलेख निरीक्षण ने अंकित किया है कि मुताबिक दान पत्र के बेचान हिस्सा व शेष हिस्सा सही दर्ज करवाकर नामान्तकरण जांच हेतु पुनः पेश करे। तहसीलदार ने अंकित किया है कि पुनः जांच की गई मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के नामान्तकरण खारिज किया जाना उचित है। पटवारी हल्का द्वारा दो पृथक–पृथक दिनांक पर पृथक –पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दान पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त दान पत्र उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा पंजीबद्ध किया हुआ है। जो दिनांक 17.10.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 364 में पृष्ठ संख्या 78 कम संख्या 202203493103787 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1338 के पृष्ठ संख्या 47 से 58 पर चस्पा किया गया।

उक्त दान पत्र उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा पंजीबद्ध किया हुआ है तथा पटवारी हल्का द्वारा पृथक–पृथक दिनांक पर पृथक–पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा पेरोकार सरकार द्वारा उक्त दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण किस आधार पर तस्दीक नहीं किया जा सकता है। कोई कारण अंकित नहीं किया है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1255 दिनांक 28/10/2022 के बावत् निर्णय दिनांक 12/11/2022 वाके ग्राम सलेमपुर निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पन्द्रह दिवस में न्यायालय हाजा में भिजवाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] तोमर)
[illegible] ला कलेक्टर
[illegible] सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:43 IST
Reason: SelfAttested